दिल्ली विकास प्राधिकरण

राज निवास, दिल्ली में 16 फरवरी 2015 को दोपहर 2:30 बजे आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे:

अध्यक्ष

1. श्री नजीब जंग
उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

2. श्री बलविंदर कुमार

सदस्य

3. श्री वेंकटेश मोहन
वित्त सदस्य, दिविप्रा

4. श्री अभय सिन्हा
अभियंता सदस्य, दिविप्रा

5. श्री डी एस मिश्रा
अपर सचिव
शहरी विकास मंत्रालय
भारत सरकार

6. श्री राजीव मल्होत्रा
सदस्य सचिव
एन सी आर प्लानिंग बोर्ड

Scanned with OKEN Scanner

7 श्री विजेंदर गुप्ता, विधायक

सचिव

श्री डी सरकार
आयुक्त एवं सचिव, दिविप्रा

विशेष आमंत्रिती और वरिष्ठ अधिकारी

1 श्रीमती नूतन गुहा बिस्वास
उपराज्यपाल, दिल्ली की प्रधान सचिव

2 श्री नरेंद्र कुमार
प्रधान सचिव (शहरी विकास), रा रा क्षे, दिल्ली सरकार

3 श्री टी श्रीनिधि
प्रधान आयुक्त (आवास, भूमि निपटान, राष्ट्र मण्डल खेल), दिविप्रा

4 श्री दयानन्द कटारिया
प्रधान आयुक्त (भूमि प्रबंधन, कार्मिक और प्रणाली), दिविप्रा

5 श्री अमित यादव,
आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

6 श्री अश्वनी कुमार
आयुक्त (परिवहन), रा.रा.क्षे, दिल्ली सरकार

7 श्रीमती स्वाति शर्मा
उपराज्यपाल, दिल्ली के अपर अचिव

Scanned with OKEN Scanner

8 श्री आर एन शर्मा
उपराज्यपाल, दिल्ली के विशेष कार्य अधिकारी

9 श्री विश्वेंद्र
उपराज्यपाल, दिल्ली के निजी सचिव

10 डॉ सिमी मल्होत्रा
उपराज्यपाल, दिल्ली के सलाहकार (मीडिया, अकेडमिक्स, कला, संस्कृति और भाषा)

11 श्री एम के गुप्ता
आयुक्त (कार्मिक), दिविप्रा

12 श्री बृजेश कुमार मिश्रा
आयुक्त (भूमि प्रबंधन), दिविप्रा

13 श्री आर के जैन
आयुक्त (योजना), दिविप्रा

14 श्री अनिल कुमार शर्मा
मुख्य विधि सलाहकार, दिविप्रा

15 श्री कुलदीप सिंह गंगर
विशेष आयुक्त (परिवहन), रा रा क्षे, दिल्ली सरकार

16 डॉ दिलराज कौर
अपर आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

17 श्री शमशेर सिंह
मुख्य नगर योजनाकार, दि. न. नि.

Scanned with OKEN Scanner

18 श्रीमती सविता भण्डारी
अपर आयुक्त (भूदृश्य), दिविप्रा

19 श्री अमित दास
अपर आयुक्त (क्षेत्र योजना), दिविप्रा

20 श्री अमरदीप सिंह
वित्त सलाहकार(आवास), दिविप्रा

21 श्री कमल जोशी
निदेशक (भूमि लागत निर्धारण), दिविप्रा

22 श्री विविन आहूजा
निदेशक (भूमि प्रबंधन), दिविप्रा

23 श्री एच के भारती
निदेशक (योजना), यूटीपैक, दिविप्रा

24 श्रीमति पारोमिता रॉय
उप निदेशक, यूटीपैक, दिविप्रा

25 श्रीमति नीमो धर
सलाहकार (जन संपर्क), दिविप्रा

i. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दिविप्रा ने श्री विजेंदर गुप्ता, विधायक का स्वागत किया, जिन्हें हाल ही में भारत सरकार द्वारा दिविप्रा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। माननीय उपराज्यपाल महोदय ने प्राधिकरण के पूर्व सदस्यों के साथ उपयोगी संघ की प्रशंसा की। माननीय

Scanned with OKEN Scanner

उपराज्यपाल ने सुझाव दिया कि प्राधिकरण की बैठकों के दौरान चर्चा को एजेंडा मदों तक सीमित रखा जाना चाहिए। यदि प्राधिकरण के सदस्यों के पास कोई अन्य मुद्दे हैं जिनके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, उन्हें उपाध्यक्ष, दिविप्रा या माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दिविप्रा के साथ अलग से उठाया जा सकता है।

ii. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दिविप्रा ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

<u>मद संख्या 01/2015</u>

राजनिवास में 12.12.2014 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

एफ.2(2)2014/एमसी/डीडीए

i) एजेंडा मद संख्या 174/2014 एवं 176/2014 की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि के संबंध में अपर सचिव (यू.डी.) ने अपने पत्र दिनांक 24.12.2014 में मुद्दों को उठाया था और उन पर चर्चा की गई थी।

ii) जहां तक एजेंडा मद संख्या 174/2014 का संबंध है, प्राधिकरण ने निर्णय लिया, चूंकि 7.1.2015 को मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और उपाध्यक्ष, दिविप्रा के बीच आयोजित बैठक में, सभी मुद्दों जिनके लिए निर्णय लिया गया, को एजेंडा में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए एक व्यापक एजेंडा मद को प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ अलग से रखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के

Scanned with OKEN Scanner

मुख्य सचिव के साथ आगे की चर्चा, यदि आवश्यक हो, की जा सकती है।

iii) एजेंडा मद संख्या 176/2014 के कार्यवृत्त के संबंध में, प्राधिकरण ने टिप्पणी की कि दिविप्रा द्वारा **पहले की बैठक के कार्यवृत्त की औपचारिक पुष्टि के बिना अधिसूचना के लिए शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार** को प्रस्ताव भेजकर एक त्रुटिपूर्ण कार्रवाई की है।

iv) **मद संख्या 182/2014 पर आयुक्त (योजना) द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में, यह देखा गया** कि यदि मौजूदा सहकारी समूह आवास समितियों के लिए अनुमोदित अतिरिक्त एफ ए आर का उपयोग आवासीय इकाइयों की संख्या में वृद्धि करके नए टावरों/ब्लॉकों के निर्माण के माध्यम से किया जाता है, तो यह न केवल मौजूदा इमारतों के स्वरूप और रूप को बदल देगा बल्कि निवासियों की जीवन शैली की गुणवत्ता को भी बदल देगा। यह टिप्पणी की गई थी कि **"ग्रुप हाउसिंग में ग्राउंड कवरेज = 33.3% (शेष एफएआर प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त/परिवर्तन के मामले में, 40% ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जा सकती है)" का प्रावधान पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है और शहरी विकास मंत्रालय में अंतिम अधिसूचना हेतु लंबित है। अतः एजेंडा मद का अनुमोदन इस अधिसूचना के जारी होने के विषयाधीन होगा।**

v) चूंकि दिविप्रा वर्तमान में विभिन्न पदों के लिए मौजूदा भर्ती नियमों में संशोधन के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है, इसलिए कुछ संवर्गों में यह संभावना हो सकती है कि इन्हें भरने के लिए पात्र अधिकारी न हों, इस मुद्दे पर कि क्या दिविप्रा को डीओपीटी के दिशा-निर्देशों को अनिवार्य या सिफारिश

Scanned with OKEN Scanner

के रूप में मानना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि चूंकि सरकार में विभिन्न संवर्गों में डीओपीटी दिशानिर्देश प्रकृति में उचित हैं, और चूंकि प्राधिकरण पिछले कुछ वर्षों से इन दिशानिर्देशों को अपना रहा है, यदि इनमें छूट दी जाती है तो दिविप्रा में विभिन्न संवर्गों में विसंगतियां पैदा हो सकती हैं। यद्यपि, विशिष्ट परिस्थितियों में, सक्षम प्राधिकारी मामले में एक प्रबुद्ध निर्णय ले सकते हैं

vi) 12.12.2014 को हुई प्राधिकरण की बैठक के शेष कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी और परिचालित किए गए

मद सं 02/2015

दिनांक 7.11.2014 को हुई दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट ।

एफ.2(3)2014/एम सी/डीडीए

i) दिनांक 07.11.2014 को हुई प्राधिकरण की बैठक की एजेंडा मद संख्या 155/2014 का कार्यवृत्त निम्नानुसार पढ़ा जाना चाहिए:-

"यह देखा गया कि पैरा 3 के अंतर्गत तालिका के क्रमांक 12 में उल्लिखित गांव सिरसपुर में एल आई जी फ्लैटों की लागत को तालिका में उल्लिखित दूसरे स्थानों के अन्य एल आई जी फ्लैटों की लागत से अधिक दर्शाया गया है। इससे जनता को आपत्ति हो सकती है और वास्तव में कानूनी विवाद हो सकता है।"

ii) दिनांक 7.11.14 को हुई प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त के एजेंडा मदों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

मद सं 03/2015

सरोजिनी नगर मार्केट, खान मार्केट, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन आदि के लिए यूजर परिवर्तन प्रभारों का युक्तिकरण

एफ.2(163)2008/एओ(पी)/पार्ट.II

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। यह निर्णय लिया गया कि:

i) राजपत्र अधिसूचना दिनांक 10.07.2012 में उल्लिखित प्रभारों के अनुसार पहले से ही अंतिम रूप दिए गए परिवर्तन मामलों को फिर से नहीं खोला जाएगा।

ii) एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव के अनुसार कन्वर्जन स्कीम **31.12.2015 तक** उपलब्ध रहेगी।

iii) परिवर्तन की प्रक्रिया को भी सरल और पारदर्शी रखा जाना चाहिए।

मद सं 04/2015

वर्ष 2014-2015 के लिए संशोधित बजट अनुमान और वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमान

एफ4(3)बजट/2014-15/आर ई

2014-15 के लिए प्रस्तावित संशोधित बजट अनुमान और 2015-16 के लिए बजट अनुमानों को अनुमोदन दिया गया। प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि लंबित रहने पर भी 2014-15 का संशोधित बजट अनुमान के उपयोग के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया गया

मद सं 05/2015

Scanned with OKEN Scanner

जोन 'ए' (चारदीवारी शहर) में दंगल मैदान के भूमि उपयोग का "मनोरंजनात्मक" (पार्क / ओपन स्पेस) से 'परिवहन' (बहु.स्तरीय पार्किंग) में परिवर्तन

एफ.3(02)2006-एम पी/पार्ट.II

i) एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

ii) तथापि, **यह दोहराया गया था कि** भूमि उपयोग के परिवर्तन से संबंधित सभी एजेंडा मदों के लिए, अधिकारियों की एक टीम द्वारा साइट का निरीक्षण किया जाना चाहिए और भूमि उपयोग के प्रस्तावित परिवर्तन के औचित्य के साथ साइट की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए।

मद सं 06/2015

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत लगाए जाने वाली क्षतिपूर्ति की लिए दरों में संशोधन ।

एफ.1(मिस)/डैमेज/अकाउंट्स/2007-08/पार्ट

i) एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

ii) तथापि, **यह निर्णय लिया गया कि** भविष्य में, विस्तृत व्याख्यात्मक और पृष्ठभूमि स्पष्ट करने वाले नोट सभी एजेंडा मदों का हिस्सा होने चाहिए। एजेंडा नोट्स की समग्र गुणवत्ता में भी सुधार किया जाना चाहिए।

मद सं 07/2015

जोन 'ए' (चारदीवारी शहर) में पर्दा बाग के भूमि उपयोग का "मनोरंजनात्मक" (पार्क/ओपन स्पेस) से 'आवासीय, व्यावसायिक और सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक में परिवर्तन

एफ3(02)2006-एम पी/वॉल.।

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया।

Scanned with OKEN Scanner

मद सं 08/2005

भारत के सी ए जी द्वारा वार्षिक लेखो के प्रमाणन के बाद वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक लेखा को अपनाना।

एफ.6(30)अकाउंट्स(एम)2013-14/डीडीए/एनुअल अकाउंट्स 2013-14

i) एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया।

ii) तथापि, यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में प्राधिकरण के लेखों को संसद के दोनों सदनों में समय से प्रस्तुत करने से पूर्व शहरी विकास मंत्रालय को प्रेषित किया जाना चाहिए।

मद सं 09/2015

योजना जोन-एफ में आने वाले एम्स ट्रॉमा सैंटर के लिए 6.05 हेक्टेयर भूमि और पुलिस स्टेशन के लिए 0.75 हेक्टेयर भूमि के भूमि उपयोग का 'मनोरंजनात्मक' (जिला पार्क) से 'सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक' (हॉस्पिटल पी एस -1 और पुलिस स्टेशन)' में परिवर्तन।

एफ.20(2)2010/एम पी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अनुमोदित किया गया:-

i) पौधों और लगाए गए विभिन्न प्रकार के वृक्षों की मृत्यु दर को ध्यान में रखते हुए कम से कम 20% अतिरिक्त प्रतिपूरक वनरोपण किया जाना चाहिए, और

ii) भूमि उपयोग के ऐसे परिवर्तन मामलों में सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आपत्ति/सुझाव की एक प्रति भविष्य में एजेंडा मदों के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

मद सं 10/2015

Scanned with OKEN Scanner

योजना संवर्ग के भर्ती विनियमों में संशोधन।

एफ.7(56)2010/पीबी-।/पार्ट.।

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया। तथापि, प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि एजेंडा मद की स्पष्टता न होने के कारण, एजेंडा मद पर चर्चा के दौरान उल्लिखित योग्यता के लिए सुझावों/ टिप्पणियों/ अतिरिक्त टिप्पणियों के साथ विस्तृत प्रस्ताव माननीय उपराज्यपाल/ अध्यक्ष, दिविप्रा के औपचारिक अनुमोदन के लिए फाइल पर भेजा जाएगा

मद सं 11/2015

जोन पी.। नरेला में 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र के भूमि-उपयोग का 'सरकारी' से 'उपयोगिता'-बिजली (पावर हाउस सब-स्टेशन) में परिवर्तन

एफ.20(32)/2014-एमपी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं 12/2015

दिविप्रा से एमसीडी को भवन गतिविधियों की डी-नोटिफिकेशन और हस्तांतरण करना

एफ.7(04)2014/बिल्डिंग/मिस

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अनुमोदित किया गया था:-

i) डी-नोटिफाइड क्षेत्रों के भवन रिकॉर्ड और संगत फाइलें संबंधित नगर निगम को हस्तांतरित की जानी चाहिए जो इन्हें अपने रिकोर्ड्स में ले लें।

ii) चूंकि नगर निगम में कोई कर्मचारी स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है, इसलिए नगर निगम को हस्तांतरित की जा रही सेवाओं के रखरखाव के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए कहा जा सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

iii) दिविप्रा द्वारा संबंधित नगर निगम को डेफिशियेंसी चार्ज का भुगतान किया जाना चाहिए।

मद सं 13/2015

11.06.2014 को आयोजित सलाहकार समूह की अपनी 13 वीं बैठक की सिफारिशें- योजना की मध्यावधि समीक्षा के भाग के रूप में दिमुयो-2021 में संशोधन।

एफ.20(19)/2014-एम पी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अनुमोदित किया गया था: -

i) प्राकृतिक संरक्षण ज़ोन से संबंधित एनसीआर के मास्टर प्लान के प्रावधानों को पर्यावरण संबंधित अध्याय में भी जोड़ा जाए

ii) योजना की मध्यावधि समीक्षा तभी पूरी होगी जब तक की जोन-डी के (जोनल) प्लान की समीक्षा के लिए ड्राफ्ट प्रस्ताव को प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा अनुमोदित कर लिया जाता है और मुख्य योजना में शामिल कर लिया जाता है

मद सं 14/2015

ईस्ट दिल्ली हब (कड़कड़डूमा) और अन्य समान टीओडी/स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए दिविप्रा और एनबीसीसी के बीच मानक मसौदा समझौता ज्ञापन।

एफ.11(01)2010/यूटीपैक/वॉल.III(पार्ट)

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं 15/2015

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 22.1.2015 को आयोजित बोर्ड ऑफ इंक्वायरी एंड हियरिंग की बैठक की सिफ़ारिशों के आधार पर संशोधित "परिवहन (अध्याय 12.0)" और "दिल्ली शहरी क्षेत्र-2021 (अध्याय 3.0)" और "विकास कोड (अध्याय 17.0)" से संबंधित परिवर्तन

एफ.1(55)2012/यूटीपैक/वॉल-III(पार्ट)

एजेंडा मद पर विस्तृत चर्चा के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

i) परिवहन अध्याय के लिए प्रस्तावित संशोधनों में निम्नलिखित को जोड़ा/हटाया जाना चाहिए:-

(1) पैरा 12.5 - निम्नलिखित पंक्तियों को हटा दिया जाएः

"रा रा क्षे, दिल्ली सरकार द्वारा शुरु किए परिवहन मांग पूर्वानुमान अध्ययन (टीडीएफसी) 2008 के अनुसार, रा रा क्षे, दिल्ली सरकार और यूटीपैक द्वारा 38 नए बीआरटीएस कॉरिडोर की पहचान की गयी और अनुमोदन दिया गया सभी घरों/कार्यस्थलों से 5 मिनट की पैदल दूरी के अंदर उच्च गुणवत्ता वाले सार्वजनिक परिवहन द्वारा पूरे शहर में सुलभता से पहुँचने के लिए इसे लागू करने की आवश्यकता है।"

(2) पैरा 12.9 को निम्न प्रकार पढ़ा जाए: -

" रीजनल रेल, एमआरटीएस, रिंग रेल और किसी भी अन्य भविष्य के रेल नेटवर्क के इंटरचेंज पॉइंट्स को ऐसे इंटरचेंज स्टेशन / कन्वर्जेंस जोन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए जहां मल्टी-मोडल एकीकरण के दिशानिर्देशों का पालन किया जाए सुविधाओं में परिवर्तन को आईएसबीटी/स्थानीय बस स्टैंड/फीडर बसों/आईपीटी मोड, जहां भी व्यवहार्य हो, एकीकृत करना चाहिए, और उनमें फीडर बसों/आईपीटी मोड और पर्याप्त सार्वजनिक सुविधाओं आदि सहित विभिन्न मोड के लिए पहुंच सड़कों, पेडेस्ट्रियन वॉकवे, पार्किंग क्षेत्र भी शामिल होने चाहिए। "

(3) पैरा 12.14.2.1, उप पैरा 2 को निम्न प्रकार पढ़ा जाए:-

Scanned with OKEN Scanner

"स्पष्ट सामुदायिक हितलाभ नीति के साथ सभी मोड को शामिल करते हुए समग्र पी एम डी प्लान के भाग के रूप में पार्किंग सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तथापि, पी एम डी प्लान की अनुपस्थिति में या क्षेत्र की स्थानीय जरूरतों के आधार पर और भूमि की उपलब्धता के अधीन, बहु-स्तरीय पार्किंग प्लॉट विकसित किए जाएं ऐसे मामलों में, पैरा 12.14.3.7 के अनुसार विकास नियंत्रण मानक लागू होंगे।

उप पैरा 'x' में, निम्नलिखित पंक्तियों को हटाने की आवश्यकता है।

"तथापि, ये सुविधाएं केवल एक व्यापक दिल्ली मुख्य योजना के भाग के रूप में प्रदान की जानी हैं।"

(4) **पैरा 12.14.3.6, निम्नलिखित पंक्ति को हटाने की आवश्यकता है: -**

" बेसमेंट को सेट बैक लाइनों तक विस्तारित किया सकता है और यह एफएआर से मुक्त होगा। "

(5) **पैरा 12.14.3.7, उप पैरा 2**, 'कार्यान्वित' शब्द को 'एकीकृत' से प्रतिस्थापित किया जाए

(6) **पैरा 1 के अंत में पैरा 12.17, निम्नलिखित पंक्ति को जोड़ने की आवश्यकता है**

" यातायात प्रभाव मूल्यांकन (टीआईए) के बारे में व्यापक नीति तैयार की जानी चाहिए और प्राधिकरण के समक्ष रखी जानी चाहिए।" पैरा 1 के बाद बुलेट प्वाइंट को हटाना होगा।

(7) **पैरा 12.18.3, उप पैरा V,** पंक्ति एक को "प्राधिकरण योजना तैयार/अनुमोदित करेगा" के रूप में पढ़ा जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

ii) अध्याय 15.0 मिश्रित उपयोग विनियम, दि.मु.यो.-2021, पैरा 15.4, (एजेंडा मद के अनुलग्नक 'घ' पर प्रस्तुत) में संशोधन के संबंध में, निम्नलिखित उप पैरा जोड़ा जाना है: "मिश्रित उपयोग वाली सड़कों से संबंधित मुद्दे जिनके लिए स्थानीय निकायों द्वारा पहले ही परिवर्तन शुल्क लिया जा चुका है, संबंधित निकाय द्वारा पूरा किये जाने की आवश्यकता है "

iii) टी ओ डी पॉलिसी लैंड पूलिंग क्षेत्र और शहरी विस्तार के कम घनत्व वाले आवासीय क्षेत्र (एलडीआरए) के अंदर आने वाले कॉरिडोर को छोड़कर सभी एमआरटीएस कॉरिडोर के प्रभाव क्षेत्र पर लागू होगी मुख्य योजना के सभी संगत पैरा तदनुसार संशोधित कर लिए जाएं

iv) एजेंडा मद में निहित शेष प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।

<u>एजेंडा मद 16/2015</u>

अध्याय 10.0 में दीनपनाह आर्कियोलोजिकल पार्क" का नाम - दिमुयों-2021 की निर्मित विरासत का संरक्षण।

एफ.3(108)/2013/एच यू पी डब्लू/एस ए (डब्लू ज़ेड एंड डी)/पार्ट. III

i) एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

ii) तथापि, आर्कियोलोजिकल पार्क के अंदर सड़क का निर्माण जो **एएसआई, पर्यावरण आदि की अनिवार्य मंजूरी के अधीन होना चाहिए**

<u>मद सं 17/2015</u>

आजादपुर, जोन- 'सी' के पास परमेश्वरी वाला बाग में दिल्ली एम आर टी एस, फेज़.III की लाइन 7 के निर्माण के लिए, पॉकेट पी-2ए (4934.45 वर्ग मीटर) और पी-2बी

Scanned with OKEN Scanner

(2469.86 वर्ग मीटर) भूमि के भूमि उपयोग का 'मनोरंजनात्मक (पी 2-जिला पार्क)' से परिवहन (टी3-एमआरटीएस सर्कुलेशन) में परिवर्तन

एफ.20(7)2013/एम पी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं 18/2015

पुनर्वास योजना के आबंटितियों के लिए फ्रीहोल्ड परिवर्तन नीति

एफ.पीएस/डीएलएम(एचक्यू)/पॉलिसी फॉर अलोटीज ऑफ रिहेबिलिटेशन स्कीम/2015

एजेंडा मद को वापस ले लिया गया था।

मद सं 19/2015

होटल एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र के संबंध में सलाहकार समूह की 10वीं बैठक की गई सिफ़ारिशों के अनुसार दिमुयो-2021 में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में।

एफ.20(13)/2013-एम पी

एजेंडा मद पर चर्चा टाल दी गई। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा उठाए गए सभी संबंधित मुद्दों का पता लगाने वाली व्यापक एजेंडा मद प्राधिकरण के समक्ष रखी जानी चाहिए।

मद सं. 20/2015

पुरानी योजना शाखा में दुरुपयोग की गई/दुरुपयोग की जा रही संपत्तियों के संबंध में सावधि पट्टे के नवीनीकरण पर नीति।

एफ.एस.1(11)2015/डीडीए/ओ एस बी

एजेंडा मद पर चर्चा स्थगित की गई।

मद सं. 21/2015

Scanned with OKEN Scanner

औद्योगिक क्षेत्रों में अनुमत गतिविधियों और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित संशोधनों के संदर्भ में एमपीडी-2021 के अध्याय 7 उद्योग में प्रस्तावित संशोधन।

एफ.17(5)2007/एम पी

एजेंडा मद पर चर्चा स्थगित की गई।

मद सं. 22/2015

यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर के रूप में दिल्ली के शाही शहर , अर्थात् शाहजानाबाद का शिलालेख: जोन 'ए' (चारदिवारी शहर) की क्षेत्रीय विकास योजना में दिल्ली के शाही शहर की सीमाओं का समावेशन

एफ.3(02)2006-एमपी/पार्ट-I

i) एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

ii) यह पूछा गया था कि क्या यूनेस्को द्वारा दिल्ली के कुछ हिस्सों को विरासत शहर घोषित करने से इन क्षेत्रों के आगे/भविष्य के विकास में कोई बाधा उत्पन्न होगी इस पर स्पष्टीकरण दिया जाए

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितों और वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

******

Scanned with OKEN Scanner